कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION HOSPITAL
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
प्लाट सं - 41, सेक्टर - 03,
Plot No. - 41, Sector - 03,
आई.एम.टी. मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा - 122050
I.M.T. Manesar, Gurugram, Haryana - 122050
दूरभाष/Tel: 0124-4618701
ई-मेल/Email: ms-manesar.hr@esic.nic.in

सत्यमेव जयते

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सं.133-ए/13/01/2016.रा.भा.(विराकास) दिनांक: 14.08.2021

परिपत्र

विषय:- 02 अगस्त, 2021 को संपन्न क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (अप्रैल-जून, 2021) का मसौदा कार्यवृत्त ।

चिकित्सा अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में 02 अगस्त, 2021 को संपन्न क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का मसौदा कार्यवृत्त आपके सादर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

इसे चिकित्सा अधीक्षक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है |

संलग्नक: यथोपरि

(आनंद कुमार गर्ग)
उप निदेशक (रा.भा. प्रभारी)
सदस्य सचिव

सेवा में,

1. महानिदेशक (राजभाषा), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. अस्पताल की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु । (ई-मेल द्वारा)
3. सभी शाखाएं/चिकित्सा विभाग, क.रा.बी. निगम अस्पताल, मानेसर को आवश्यक कार्रवाई हेतु । (ई-मेल द्वारा)
4. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, (रा.भा.का.का.), वाप्कोस लिमिटेड, 76-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम - 122015 को सादर सूचनार्थ ।
5. आई.टी. प्रबंधक, क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर को अस्पताल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

का.प्रति
16.08.2021

<u>कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का मसौदा कार्यवृत्त</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही(अप्रैल-जून, 2021) बैठक 02 अगस्त, 2021 को अपराह्न 02:30 बजे डॉ. रविन्द्र कुमार शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रकिया की अनुपालना करते हुए सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई । उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम श्री / श्रीमती	पदनाम	विराकास पद
1.	डॉ. रविन्द्र कुमार शर्मा	चिकित्सा अधीक्षक(रा.भा. प्रभारी)	अध्यक्ष
2.	डॉ. नीना झाम्ब	सहायक चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
3.	डॉ. अनुराधा अग्रवाल	एस.ए.जी.	सदस्य
4.	डॉ. निहारिका कपूर	विशेषज्ञ	सदस्य
5.	डॉ. आनंद कुमार	विशेषज्ञ	सदस्य
6.	डॉ. अम्तेश्वर कुमार प्रसाद	बीमा चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7.	डॉ. सुमित अहलावत	बीमा चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8.	वीरेंद्र सिंह	कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
9.	राजकुमार धायल	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सदस्य
10.	आनंद कुमार गर्ग	उप निदेशक (रा.भा. प्रभारी)	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री बिरजू सिंह, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, श्री हिमांशु जांगिड़, आशुलिपिक एवं श्री अनुज कुमार, आई.टी. प्रबंधक भी सहायतार्थ उपस्थित थे ।

सदस्य सचिव श्री आनंद कुमार गर्ग, उप निदेशक(रा.भा. प्रभारी) ने विराकास अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा साथ ही श्री वीरेन्द्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक का नए सदस्य के रूप स्वागत किया गया | अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार बैठक की कार्रवाई आरंभ करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि यह बैठक जुलाई-अगस्त, 2021 तिमाही हेतु है । इस बैठक में जून, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी तथा गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर भी चर्चा की जाएगी । इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची अनुसार मदवार चर्चा आरंभ की गई । उप निदेशक(राजभाषा प्रभारी) ने सभी सदस्यों को बताया कि हम सभी को राजभाषा से संबंधित सभी नियमों एवं आदेशों की अनिवार्य रूप से अनुपालना करनी है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु एकजुट होकर सकारात्मक प्रयास भी करने है |

मद सं. 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक का आयोजन 25 मई, 2021 को किया गया था । उक्त बैठक का मसौदा कार्यवृत्त विराकास के सभी सदस्यों एवं शाखाओं में अग्रिम कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया तथा सदस्यों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे । चूँकि किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । अत: अध्यक्ष महोदय यदि सहमत हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है । अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

मद सं. 2	पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक जो कि 25 मई, 2021 को आयोजित की गई थी तथा मुख्यालय सहित अन्य संबंधितों को बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित कर दिया गया था । पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर निम्नानुसार कार्रवाई की गई:-

- विभागीय हिंदी पत्रिका आरोहण के पंचम अंक में प्रकाशन हेतु लेख इत्यादि प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 20.07.2021 को परिपत्र जारी कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया गया ।
- मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने तथा शाखाधिकारी को सूचित करना कि वे अपने अधीनस्थों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें, के संबंध में दिनांक 16.06.2021 को पत्र जारी किया गया । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि मूल हिंदी पत्राचार के संबंध में सभी शाखाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें |
- राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय द्वारा जारी जाँच बिंदुओं की अनुपालना और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिनांक 16.06.2021 को पत्र जारी कर सभी शाखाओं को निर्देश जारी किए | अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि जाँच बिंदु की अनुपालना एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी निरंतर प्रयासरत रहें |
- हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को जारी व्यक्तिगत आदेश को अनुपालना के लिए दिनांक 16.06.2021 को यू.ओ. जारी कर सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए कि वे अपना शत-प्रतिशत कार्यालयी कामकाम हिंदी में करें | अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि सभी प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अपना कार्यालयी कामकाज हिंदी में करें |
- पुस्तकालय हेतु बड़ी मेज एवं अतिरिक्त कुर्सियाँ उपलब्ध कराने के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी कोविड महामारी का खतरा बना हुआ है तथा सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है | अत: अभी इस प्रस्ताव को लंबित रखा जाता है |

मद सं. 3	हिन्दी प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

सदस्य सचिव के निर्देशानुसार कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि यह सराहनीय है कि राजभाषा नियम 5 की अनुपालना सभी शाखाओं द्वारा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा रही है | गत तिमाही में हिंदी में कुल 143 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 72 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा 71 पत्रों का जवाब अपेक्षित नहीं था । आलोच्य तिमाही में **"क"** क्षेत्र को 83 प्रतिशत हिंदी में पत्राचार किया गया । **"ख"** क्षेत्र को शत प्रतिशत हिंदी में पत्राचार किया गया । हिंदी पत्राचार पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विगत तिमाही की अपेक्षा मूल हिंदी पत्राचार में कमी आई है जो कि शुभ संकेत नहीं है |

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मूल हिंदी पत्राचार में कमी होना कर्मचारियों में हिंदी के प्रति निरुत्साह को दर्शाता है । साथ ही अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव श्री आनंद कुमार गर्ग, उप निदेशक एवं पूर्व सदस्य सचिव श्रीमती रूपा बैनर्जी, उप निदेशक की सराहना करते हुए कहा कि आप के मार्गदर्शन में कर्मचारियों द्वारा हिंदी में प्रशंसनीय कार्यालयी कामकाज किया जा रहा है । लेकिन हम लक्ष्य से अभी भी कुछ कदम की दूरी पर है तथा हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूप से कठोर कदम उठाने चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित शाखाधिकारियों एवं सदस्यों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए निर्देश दें तथा समय-समय पर जाँच करें कि सभी कर्मचारी अपना टिप्पण एवं पत्र मसौदा लेखन कार्य मूल से हिंदी में ही कर रहे हैं । विगत तिमाही में कुल 83 प्रतिशत टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई । अंग्रेजी में कुल 227 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 66 पत्रों के उत्तर हिंदी में एवं 94 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया जबकि 67 पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं था । अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अधिक से अधिक हिंदी में देने का प्रयास करें |

मद सं. 4	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

सदस्य सचिव ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रुप में जारी किया जाना चाहिए तथा ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इसे द्विभाषिक रुप में तैयार किया गया तथा निष्पादित किया गया है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 58 दस्तावेज जारी किए गए तथा सभी द्विभाषी अथवा हिंदी रूप में जारी किए गए |

मद सं. 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा

वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करतें हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय निर्देशानुसार दिनांक 13.04.2021 को वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 जारी किया गया । तदुपरांत सभी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम की संक्षिप्त प्रति भी उपलब्ध करवाई गई तथा उन पर विस्तृत चर्चा भी गई । सदस्य सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए राजभाषा संबंधी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमें उनकी प्राप्ति हेतु हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य करें ।

मद सं. 6	निर्धारित जाँच बिंदुओं पर चर्चा

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु अलग-अलग मदों पर जाँच बिंदु तैयार किए गए है । दिनांक 13.04.2021 को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदुओं को जारी किया गया । साथ ही सभी सदस्यों को जाँच-बिंदुओं की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई तथा उन पर विस्तृत चर्चा भी गई । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निदेश दिए कि वे संबंधित पत्रों पर हस्ताक्षर करते समय निर्धारित जाँच बिंदुओं को ध्यान में रखें ।

मद सं. 7	राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाए । अध्यक्ष महोदय को नियम 5 की स्थिति के विषय में अवगत कराया गया कि कार्यालय में अनिवार्य रूप से इसकी अनुपालना की जा रही है । गत तिमाही में 143 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए और सभी अपेक्षित पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया ।

मद सं. 7	चिकित्सा विभागों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

चिकित्सा विभागों में राजभाषा संबंधी कार्यों के लिए नामित श्रीमती एकता, सहायक नर्सिंग अधीक्षक एवं श्री राजकुमार धायल, सहायक नर्सिंग अधीक्षक द्वारा चिकित्सा विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं ।

मद सं. 8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वर्तमान में विशेष रूप से अस्पताल कार्मिक जो अग्रिम पंक्ति में है, बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं लेकिन इस महामारी काल में भी हमें हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाना है ताकि इस महामारी

की जानकारी जन-समुदाय तक आसान भाषा में परिचालित की जा सकें । कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने जाँच-बिंदुओं और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि संबंधित शाखाधिकारी के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी का भी यह उत्तरदायित्व है कि वे जाँच-बिंदुओं एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की अनुपालना एवं प्राप्ति अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषायी निरीक्षण के दौरान उक्त बिंदुओं एवं लक्ष्यों को गंभीरता से लिया जाता है ।

- अधिकारियों एवं चिकित्सकों को प्रतिदिन फाइल पर प्रयोग होने वाले अनिवार्य प्रशासनिक/कार्यालयी शब्दों की सूचि उपलब्ध करवाना ।
- मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करना तथा शाखाधिकारियों को सूचित करना कि वे अपने अधीनस्थों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें ।
- राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय द्वारा जारी जाँच बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए संबंधित शाखाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना ।
- वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहना तथा सभी कर्मचारियों द्वारा यथानुसार कार्य करना |
- हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना |
- विभागीय हिंदी पत्रिका आरोहण पंचम अंक का प्रकाशन करना ।

अंत में सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया ।

(आनंद कुमार गर्ग)
<u>सदस्य सचिव</u>

का. प्रति
16.08.2021